भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 385 का उत्तर

नालंदा में रेलवे स्टेशन की मांग

385. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नालंदा में पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत दानापुर मंडल का एक बहुत पुराना रेलवे स्टेशन रहुई रोड सर्वसुविधा युक्त रेलवे स्टेशन के रूप में कार्यशील था;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र के निवासी पिछले कई वर्षों से रहुई रोड हाल्ट को रेलवे स्टेशन का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(घ) क्या रेलवे स्टेशन का दर्जा न दिए जाने के कारण एक्सप्रेस रेलगाड़ियां वहां नहीं रुक रही हैं जिसके कारण इस क्षेत्र के निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो रहुई रोड हॉल्ट को कब तक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

नालंदा में रेलवे स्टेशन की मांग के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री कौशलेन्द्र कुमार के अतारांकित प्रश्न सं. 385 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रहुई रोड एक हॉल्ट ग्रेड (एचजी)-3 का रेलवे स्टेशन है। इस उद्देश्य के लिए इस क्षेत्र के किसानों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

रहुई रोड स्टेशन वर्तमान में पांच जोड़ी पैसेंजर रेलगाड़ियों द्वारा सेवित किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय रेल पर रेलगाड़ियों को ठहराव देना एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता आदि के अध्यधीन है।

*****